पत्र संख्या -प्र010ए / गृ0नि0अ0(वि0)–890 / 98   517 / वि0(अ0),

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 28.5.15

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

विषयः- दीर्घकालीन अग्रिमों के मूलधन एवं सूद की वसूली के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र सं0–1629 दिनांक–18.12.2007 द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्गों को सभी प्रकार के ऋण की स्वीकृति के समय ही स्वीकृत ऋण की राशि का ब्याज की गणना करते हुए स्वीकृत्यादेश में ब्याज के किस्तों को निर्धारित कर दी जाती है। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधानित है कि मूलधन की वसूली पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित ब्याज के किस्तों की वसूली अगले माह से प्रारंभ हो जाएगी। ब्याज का भुगतान प्रारंभ होने के बाद ब्याज की वास्तविक देय राशि की गणना करते हुए ब्याज के किस्तों का निर्धारण अंतिम रूप से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा। उक्त परिपत्र के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्त विभागीय परिपत्र सं0–194 दिनांक–05.03.14 द्वारा सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि महालेखाकार के पत्रांक–एल0टी0ए0–II / एम0सी0ए0 / 753 दिनांक–16.07.2014 के निदेशानुसार विभिन्न अग्रिमों के मूलधन एवं उस पर गणित सूद की वसूली ससमय करने तथा उन मामलों में भी जिनके अग्रिमों का रख–रखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है, उसकी वसूली विवरणी, टी0भी0 संख्या एवं दिनांक सहित सूचना महालेखाकार को भेजने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त नियम के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विभिन्न अग्रिमों एवं उस पर सूद की वसूली ससमय करने तथा उन मामलों में भी जिनके अग्रिमों का रख–रखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है, वसूली विवरणी, टी0भी0 संख्या एवं दिनांक सहित महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

28/5

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सरकार के सचिव (संसाधन)

1

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3 कृ०–बजट–विविध–09/2015 3069 /कृ०, पटना, दिनांकः 19-06-2015

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/ उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी, (मुजफ्फरपुर)–सह–प्राचार्य/ उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/उप निदेशक (शष्य) प्रसार–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन
19/6/15

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3069 /कृ०, पटना, दिनांकः –19-06-2015

प्रतिलिपि :– सचिव (संसाधन) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/6/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3069 /कृ०, पटना, दिनांकः –19-06-2015

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

19/6/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।